दैनिक भारत कि

तामीर

संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com
Editor in chief- Qazi makhdoom shafiuddin

बीड (महाराष्ट्र) | वर्ष-२ ला | अंक-५० वा | बुधवार १९ नवंबर २०२५ | RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 | किमत : २ रुपये | पन्ने - ४

पालिका चुनावों पर लटकी तलवार: आरक्षण की सीमा लाँघी तो चुनाव प्रक्रिया रोक दी जाएगी

सुप्रीम कोर्टने राज्य सरकार को चेतावनी दी

मुंबई, १८ नवंबर २०२५ (दैनिक तामीर विशेष): महाराष्ट्र में अगले महीने होने वाले स्थानीय निकाय (नगरपालिका) चुनावों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तेवर दिखाए हैं। आरक्षण की ५० प्रतिशत सीमा लाँघी गई तो पूरी चुनाव प्रक्रिया रोक दी जाएगी, ऐसा स्पष्ट इशारा सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को दिया है। दिसंबर २०२५ में २४६ नगर परिषदों और ४२ नगर पंचायतों के चुनाव होने हैं, लेकिन ओबीसी आरक्षण के विवाद के चलते अब इन चुनावों पर खतरा मँडरा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख

सोमवार (१७ नवंबर २०२५) को हुई सुनवाई में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्या बागची की बेंच ने राज्य सरकार के प्रतिनिधि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को चेतावनी दी कि आरक्षण की सीमा लाँघने की कोशिश मत कीजिए, वरना हम चुनाव ही रोक देंगे। हमारी शक्तियों की परीक्षा मत लीजिए। बेंच ने साफ कहा कि जे.के. बांठिया आयोग की २०२२ की रिपोर्ट से पहले की आरक्षण व्यवस्था ही लागू रहेगी। यह आयोग ओबीसी को २७ प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश करता है, जो अभी कोर्ट में विचाराधीन है।

मई २०२५ के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कराने की अंतिम अनुमति दी थी, लेकिन बांठिया आयोग से पहले की स्थिति के आधार पर ही। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि राज्य के करीब ४० प्रतिशत वार्डों में आरक्षण ५० प्रतिशत से ज्यादा और कुछ जगहों पर ७० प्रतिशत तक पहुँच गया है। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी की। अगली सुनवाई १९ नवंबर को है, जिसमें राज्य सरकार को सख्ती से पालन का भरोसा देना होगा।

बांठिया आयोग और आरक्षण विवाद

२०२१ में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट लागू करने का आदेश दिया था, जिससे २७ प्रतिशत ओबीसी आरक्षण रुक गया। २०२२ में बांठिया आयोग ने डेटा के आधार पर फिर २७ प्रतिशत की सिफारिश की, लेकिन वह

दैनिक भारत कि तामीर
संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com
Editor in chief- Qazi makhdoom shafiuddin
बीड (महाराष्ट्र) | वर्ष-२ ला | अंक-४६ वा | शनिवार १५ नवंबर २०२५ | RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 | किमत : २ रुपये | पन्ने - ४

२ दिसंबर का मतदान खतरे में

सुप्रीम कोर्ट की नोटिस से महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव रद्द होने की आशंका

नई दिल्ली, (तामीर संवाददाता)
१४ नवंबर २०२५: महाराष्ट्र में लंबे इंतजार के बाद निर्धारित २ दिसंबर को होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों पर अब संकट मंडरा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण लागू न करने के विरोध में राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस अवमानना याचिका के सबब चुनाव रद्द होने की मजबूत संभावना है, क्योंकि कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट चेतावनी दी है कि आरक्षण संबंधी आदेशों का उल्लंघन होने पर चुनाव प्रक्रिया रोक दी जाएगी। मामले की अगली सुनवाई १७ नवंबर को होगी, जिसके फैसले से २ दिसंबर के मतदान की किस्मत तय हो सकती है।

जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस ज्यामित्रो बागची की बेंच ने शुक्रवार को अवमानना याचिका (CONMT.PET.(C) No. 774/ 2025) पर सुनवाई की, जो मूल रिट पिटीशन (W.P.(C) No. 980/2019) और SLP(C) No. 19576/2021 से जुड़ी है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार 'ट्रिपल टेस्ट' (ओबीसी पिछड़ापन पर डेटा संग्रह, आरक्षण का अनुपात और ५०% सीमा) का पालन किए बिना ओबीसी कोटा हटाकर चुनाव कराने की तैयारी कर रही है, जो कोर्ट के मई २०२५ के आदेश का सीधा उल्लंघन है। बेंच ने नोटिस जारी कर १७ नवंबर तक जवाब मांगा और रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि सभी जुड़े मामले उसी तारीख को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हों। साथ ही, आरोपित अवमानकर्ताओं की व्यक्तिगत उपस्थिति को फिलहाल माफ कर दिया गया।

चुनाव रद्द होने की संभावना क्यों?
सुप्रीम कोर्ट ने मई २०२५ में बिना नए ओबीसी कोटा के पूर्व व्यवस्था के तहत चार महीने में चुनाव कराने का आदेश दिया था, लेकिन सितंबर २०२५ में इसे ३१ जनवरी २०२६ तक बढ़ा दिया और साफ कहा कि कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने ४ नवंबर को २४६ नगर परिषदों और ४२ नगर पंचायतों के लिए २ दिसंबर का मतदान कार्यक्रम घोषित किया, लेकिन आज की नोटिस ने इसे चुनौती दे दी है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यदि १७ नवंबर को कोर्ट अवमानना साबित मानता है, तो चुनाव रद्द हो सकते हैं-जैसा कि २०२१-२०२२ में ओबीसी कोटा विवाद पर हुआ था, जब ५६७ सीटों पर आरक्षण रुक गया और पूरे चुनाव स्थगित हो गए। ओबीसी संगठनों ने चेतावनी दी है कि आरक्षण बहाल न होने पर सड़क पर उतरेंगे, जो चुनाव प्रक्रिया को और जटिल बना सकता है। कुल १.७ करोड़ मतदाता प्रभावित होंगे, जहां १,८२१ ओबीसी सीटें दांव पर हैं।

कोर्ट के मुख्य आदेश: सभी पक्षों को नोटिस जारी, जवाब १७ नवंबर तक दाखिल करना होगा। SLP(C) No. 19576/2021 और इससे जुड़े सभी मामले १७ नवंबर को इसी बेंच के समक्ष सूचीबद्ध हों। आरोपित पक्षों की व्यक्तिगत हाजिरी फिलहाल माफ।

याचिकाकर्ता विकास और अन्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह, अमोल बी. करंदारे, वरुण सिंह, सुदीप चंद्रा और बी. लक्ष्मी पल्लेशा ने पैरवी की। महाराष्ट्र में २७ नगर निगमों, २४३ नगर परिषदों और २८९ पंचायत समितियों के चुनाव पिछले तीन साल से ओबीसी विवाद में लटके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार जोर दिया है कि ग्रामीण स्तर पर लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध चुनाव जरूरी हैं, लेकिन अवमानना पर सख्ती भी की है।

राजनीतिक हलकों में हलचल है-सत्ताधारी महायुति को चुनाव में फायदा मिलने की उम्मीद थी, जबकि विपक्षी महा विकास अघाड़ी ने पहले ही मतदाता सूची पर सवाल उठाए हैं। यदि रद्दीकरण होता है, तो ३१ जनवरी २०२६ की अंतिम समयसीमा भी खतरे में पड़ सकती है।

रिपोर्ट अभी कोर्ट में है। इसी कारण २०२२ से स्थानीय निकाय चुनाव रुके हुए हैं। मई २०२५ में अंतिम मौका देते हुए चुनाव कराने की इजाजत दी गई थी, लेकिन अब फिर विवाद सामने आ गया है।

याचिकाकर्ता विकास सिंह, नरेंद्र हुड्डा और विकास गवळी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार बांठिया आयोग की सिफारिशों का दुरुपयोग कर रही है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, हमने कभी ५० प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण की इजाजत नहीं दी। संविधान पीठ के आदेश के खिलाफ कोई निर्देश की उम्मीद न करें। बेंच ने यह भी कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाए तब भी हम रोक सकते हैं।

राज्य सरकार का पक्ष

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने नामांकन शुरू होने की बात कही और जवाब के लिए समय माँगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नामांकन की आखिरी तारीख १७ नवंबर थी, लेकिन सीमा लाँघी तो चुनाव रद्द हो सकते हैं। राज्य चुनाव आयोग ने २ दिसंबर को मतदान और ३ दिसंबर को परिणाम की घोषणा की है, लेकिन अब इस कार्यक्रम पर संकट के बादल छा गए हैं।

दैनिक तामीर की खासियत: हमने सबसे पहले छापी थी यह खबर!

दैनिक तामीर ने १४ नवंबर २०२५ को (१५ नवंबर को प्रकाशित) इस घटनाक्रम का सबसे पहले अंदाजा लगाया था। हमारे विस्तृत विश्लेषण में हमने लिखा था कि १७ नवंबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाएगा और चुनाव पर स्थगन की आशंका है। आज वह खबर सौ फीसदी सत्य साबित हुई है और दैनिक तामीर ने एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे आगे रहकर सच्चाई सामने लाई है।

चुनाव का दायरा और प्रभाव

महाराष्ट्र में ३६७ से ज्यादा स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं। ठाणे, पुणे, नाशिक जैसी बड़ी नगरपालिकाओं में आरक्षण ड्रॉ पूरा हो चुका है, लेकिन अब बदलाव की संभावना है। इस देरी से स्थानीय लोकतंत्र को बड़ा झटका लगेगा। विपक्ष ने भी पारदर्शी चुनाव की माँग की है।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला महाराष्ट्र की राजनीति में नया मोड़ लाएगा? दैनिक तामीर आपके साथ लगातार अपडेट देता रहेगा।

नगराध्यक्ष चाऊस को टक्कर देने वाला पटेल कौन है?

आमदार सोलंके माजलगांव शहर को अपनी जागीर न समझें-मतदाताओं में आक्रोश

माजलगांव (शेख मुजफ्फर)

माजलगांव नगरपालिका चुनाव का रण जोर-शोर से शुरू हो चुका है। सभी पार्टियों ने अपने-अपने उम्मीदवार उतारकर अपना वर्चस्व दिखाने की पूरी कोशिश की है। शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस (अजित पवार), राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार) और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के बीच कड़ी टक्कर होने की बात कही जा रही है, लेकिन असल सवाल यह उठ रहा है कि मौजूदा नगराध्यक्ष चाऊस को असली चुनौती देने वाला वह पटेल कौन है, जिसे प्रकाश सोलंके ने अपने झोली से निकाला है?

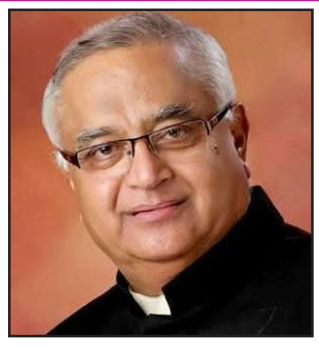

मतदाताओं में यह चर्चा जोरों पर है कि प्रकाश सोलंके माजलगांव शहर को अपनी पैतृक जागीर समझने लगे हैं। लोगों का कहना है - सोलंके साहब शहर को अपनी निजी संपत्ति समझते हैं या क्या? उनके गुलाम उम्मीदवारों को हम क्यों वोट दें?

नगर परिषद में हुए कथित भ्रष्टाचार की भी खूब चर्चा है। लोग पूछ रहे हैं - वह भ्रष्टाचार किसने किया और किसने करवाया? मतदाताओं का गुस्सा साफ है कि नगराध्यक्ष चाऊस को बलि का बकरा बनाकर मलाई खाने वालों की अब आदत ▶▶पान ४ पे

लंबे विश्राम के बाद मा. आ. लक्ष्मणराव पवार मैदान में उतरे, भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर!

काझी अमान / गेवराई

लंबे विश्राम के बाद गेवराई के पूर्व विधायक लक्ष्मणराव पवार नगरपरिषद चुनाव के संदर्भ में भाजपा उम्मीदवारों के प्रचार के लिए मैदान में उतर आए हैं। उनकी उपस्थिति में कई उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र भी दाखिल किया है। प्रचार में उनकी सक्रिय भागीदारी से भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह का माहौल बन गया है।

गेवराई विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री लक्ष्मणराव पवार

विधानसभा चुनाव के बाद राजनीति में ज्यादा सक्रिय नहीं थे। इसी बीच भाजपा के युवा नेता बाळराजे पवार ने सक्रिय होकर मतदारसंघ में नई मोर्चेबंदी शुरू की है। अब नगरपरिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नगराध्यक्ष पद के लिए सौ. गीताभाभी बाळराजे पवार को उम्मीदवारी दी है।

खास बात यह है कि इस चुनाव में पूर्व मंत्री बादामराव पंडित ने बाळराजे पवार को मजबूत साथ देने का फैसला लिया है, जिससे पवार खेमे के लिए यह मजबूत पक्ष बन गया है। इसी कड़ी में गेवराई के पूर्व विधायक लक्ष्मणराव पवार भी लंबे अंतराल के बाद नगरपरिषद चुनाव के मद्देनजर भाजपा उम्मीदवारों के प्रचार में सक्रिय हो गए हैं। उनकी मौजूदगी में कई लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किए।

उनकी एंट्री से पवार समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह का वातावरण निर्मित हो गया है।

गेवराई नगरपरिषद चुनाव में राष्ट्रवादी का पलड़ा भारी

प्रभाग क्रमांक ६ में प्रचार रैली को मिला ज़बरदस्त जनसमर्थन

गेवराई, दि. १८ (प्रतिनिधि)

गेवराई नगरपरिषद चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का पलड़ा पूरी तरह भारी दिख रहा है। पार्टी की नगराध्यक्ष पद की उम्मीदवार सौ. शीतलताई दाभाडे, प्रभाग क्रमांक ६ की उम्मीदवार श्रीमती ज़ाकेरा बेगम इस्माईल शरीफ और श्रीमती वैशाली किशोर कांडेकर के प्रचार के लिए निकाली गई रैली को जनता का भरपूर और स्वतःस्फूर्त समर्थन मिला। इस दौरान मतदाताओं से घर-घर मुलाकात कर गेवराई शहर के विकास के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की गई।

गेवराई नगरपालिका चुनाव के तहत प्रभाग क्रमांक ६ में सुबह १० बजे से ▶▶पान ४ पे

हम पंडित घराने को सबक सिखाएंगे २५ नवंबर को बड़ा फैसला पुलिस दबाव से डरेंगे नहीं!-अंबेडकरी मोर्चा

बीड (संवाददाता)

बीड नगरपालिका चुनाव में नए समीकरण के तहत हूवी आज पत्रकार परिषद मे अंबेडकरी आंदोलन के प्रमुख चेहरे - पप्पू कागदे, अजिंक्य चांदणे और बबन वडमारे - ने एक महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका घोषित की है।

इन तीनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वे अजित पवार की राष्ट्रवादी पार्टी के साथ नहीं जाने वाले हैं और समाज के बहुसंख्यक लोग जो निर्णय लेंगे, वे उसी के साथ खड़े रहेंगे।

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय सरवदे, रिपाई, डीपीआई तथा सिद्धार्थ शिंदे, अशोक सोनवणे, दीपक चौगुले, रवी वाघमारे आदि की भी उपस्थिति रही,

जिसे बीड की राजनीति में नए समीकरणों की शुरुआत माना जा रहा है।

उम्मीदवारी को लेकर अंतिम समय पर बनाया गया भ्रम - बड़े दलों पर आरोप

सूत्रों के अनुसार, बीड नगरपालिका चुनाव में प्रमुख राजनीतिक दलों ने आखिरी क्षण में पप्पू कागदे और अजिंक्य चांदणे को किनारे कर दिया, जबकि बबन वडमारे को भी लगातार असमंजस में रखा गया था।

इसी पृष्ठभूमि में ▶▶पान ४ पे

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वो साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक पर आरोप तय

अगले साल जनवरी से रोज़ाना होगी सुनवाई

जमीर काझी
मुंबई

अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े आर्थिक गड़बड़ी के मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (एऊ) ने दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को मुंबई की विशेष अदालत ने आरोप तय कर दिए।

नवाब मलिक ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए खुद को बेकसूर बताया। विशेष न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर ने १९ दिसंबर तक आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जनवरी २०२६ से इस मुकदमे की रोज़ाना सुनवाई शुरू करने का निर्देश दिया।

क्या है पूरा मामला?

२०१९ में भाजपा ने तत्कालीन मंत्री नवाब मलिक पर दाऊद की रिश्तेदारों से ज़मीन सौदा करने का आरोप लगाया था। इसके बाद एऊ ने केस दर्ज कर फरवरी २०२२ में उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। २०२३ में अजित पवार गुट में जाने के बाद स्वास्थ्य कारणों से उन्हें जमानत मिली थी।

मंगलवार को मुंबई सेशंस कोर्ट की विशेष चझ-चङ- अदालत में आरोपपत्र पर सुनवाई हुई। मलिक ने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन अदालत ने उनके खिलाफ झचङ- एक्ट-२००२ की धारा ३, ४ और १७ के तहत आरोप तय कर दिए।

सुबह मलिक की ओर से डिस्चार्ज आवेदन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, इस आधार पर आरोप तय करने की प्रक्रिया रोकने की मांग की गई। अदालत ने दोपहर ३ बजे तक हाईकोर्ट से स्थिति स्पष्ट करने को कहा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अंत में अदालत ने आरोप तय करने की प्रक्रिया पूरी कर दी। हाईकोर्ट के उस आदेश का हवाला दिया गया जिसमें सभी सत्र न्यायालयों को ४ हफ्ते में आरोप तय करना अनिवार्य बताया गया है।

घोटाला कैसे हुआ?

एऊ के अनुसार:

दाऊद की बहन हसीना पारकर, सलीम पटेल, १९९३ बॉम्ब ब्लास्ट आरोपी सरदार खान और नवाब मलिक ने मिलकर कुर्ला के गोवावाला कंपाउंड में मुनीरा प्लंबर नामक महिला की ३ एकड़ ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा किया।

१९९९ में मुनीरा ने सलीम पटेल को पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी। पटेल ने उसका दुरुपयोग कर हसीना पारकर के इशारे पर यह ज़मीन नवाब मलिक की कंपनी 'सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि.' को बेच दी। मलिक ने इस ज़मीन को किराए पर देकर आए पैसे से बांद्रा-कुर्ला में फ्लैट और उस्मानाबाद में खेती की ज़मीन खरीदी।

लगभग ३०० करोड़ रुपये के इस गैर-कानूनी लेन-देन में शामिल सभी संपत्तियों को एऊ ने जब्त कर लिया है।

मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप क्या है?

मुनीरा प्लंबर और उनकी मां की कुर्ला स्थित गोवावाला कंपाउंड की संपत्ति को दाऊद की बहन हसीना पारकर, सलीम पटेल और सरदार खान ने धमकाकर हड़पा था। नवाब मलिक को इस पूरे खेल की पूरी जानकारी थी, फिर भी उन्होंने जानबूझकर यह सौदा किया और डी-कंपनी को आर्थिक मदद पहुंचाई - यही एऊ का मुख्य आरोप है।

अब जनवरी २०२६ से रोज़ाना सुनवाई होगी।

भाजपा की तोड़-फोड़ से नाराज़ शिवसेना मंत्रियों ने मंत्रिमंडळ बैठक का बहिष्कार किया

महायुती सरकार में तनाव चरम पर

जमीर काझी
मुंबई

स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं की चुनावी सरगर्मी के बीच सत्तारूढ़ महायुती में भाजप की तोड़-फोड़ और आक्रामक बयानों के चलते अब सरकार के अंदर भी खुला तनाव दिखने लगा है। कल्याण-डोंबिवली सहित ठाणे जिले में भाजप की लगातार तोड़-फोड़ और विरोधी बयानबाजी से नाराज़ उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ने तीखा विरोध जताया है। इसका सीधा असर यह हुआ कि मंगलवार को हुई मंत्रिमंडळ बैठक में शिंदे को छोड़कर उनके सभी मंत्रियों ने बहिष्कार कर दिया।

प्री-कैबिनेट बैठक में सभी शिवसेना मंत्री मौजूद थे, लेकिन कैबिनेट बैठक में उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद सभी मंत्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अलग से मिले और भाजप की कार्रवाइयों पर गहरी नाराज़गी जताई। मुख्यमंत्री ने समन्वय बनाए रखने और जल्द समाधान निकालने का आश्वासन दिया है। यह जानकारी शिवसेना के एक वरिष्ठ मंत्री ने दी।

राज्य में नगरपालिका और पंचायत समिति चुनावों के प्रचार जोर पकड़ रहे हैं, ठीक उसी समय महायुती के दो बड़े घटक दलों के बीच यह खुली नाराज़गी चर्चा का विषय बन गई है।

क्या हुआ था?

मंत्रिमंडळ बैठक से ठीक पहले शिवसेना मंत्रियों ने अचानक कैबिनेट में न बैठने का फैसला लिया। इसके बाद वे सीधे मंत्रालय में मुख्यमंत्री के दफ्तर पहुंचे और भाजप द्वारा किए जा रहे पक्ष-प्रवेश, स्थानीय निकाय चुनावों में सीट बंटवारे तथा स्थानीय नेतृत्व द्वारा लगातार नज़रअंदाज़ करने जैसे मुद्दों पर तीव्र नाराज़गी जताई। शिवसेना के एक वरिष्ठ मंत्री के अनुसार, उपमुख्यमंत्री शिंदे को घेरने के लिए भाजप का आक्रामक पक्ष विस्तार और कुछ इलाकों में शिवसेना पर हावी होने की कोशिश सेना में भारी रोष है। ठाणे व कल्याण-डोंबिवली में शिंदे को निशाना बनाने की भाजप की रणनीति साफ दिख रही है। इसी नाराज़गी के चलते आज कैबिनेट बैठक का बहिष्कार किया गया।

हम चुनावी काम में व्यस्त थे - गुलाबराव पाटील शिवसेना मंत्री गुलाबराव पाटील ने कहा, हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी ने हमें महानगरपालिका, नगरपालिका और अन्य स्थानीय निकाय चुनावों के काम सौंपे थे। इसलिए सभी मंत्री अपने-अपने काम में व्यस्त थे।

४३ उम्मीदवार नगराध्यक्ष पद के लिए पात्र

७७४ पार्षद फॉर्मों की छानबीन जारी; कई वार्डों में फॉर्म रद्द, कुछ पर ऑब्जेक्शन

कल से आपत्ति निवारण शुरू, अंतिम सूची पर सबकी नजरें

बीड प्रतिनिधि

बीड नगरपरिषद सार्वत्रिक चुनाव-२०२५ की तैयारियां अब रफ्तार पकड़ चुकी हैं। नामांकन पत्रों की छानबीन के बाद शहर में राजनीतिक समीकरण फिर से बदलते नजर आ रहे हैं।

नगराध्यक्ष पद के लिए कल तक कुल ४७ फॉर्म दाखिल हुए थे। आज कड़ी छानबीन के बाद ४ फॉर्म अमान्य घोषित कर दिए गए, जबकि ४३ फॉर्म वैध पाए गए। इस बार नगराध्यक्ष पद अनुसूचित जाति (महिला) के लिए आरक्षित होने से शुरू से ही जबरदस्त उत्सुकता और कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अब ४३ उम्मीदवारों के बीच मुकाबला और भी रोमांचक होने वाला है।

पक्षों के भीतर गुटबाजी, गुप्त मुलाकातें और रणनीति की बैठकों ने सुबह से ही शहर का राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है।

दूसरी ओर, बीड शहर के २६ प्रभागों के लिए पार्षद पद हेतु कुल ७७४ नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं, जिनकी छानबीन अभी जारी है। इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए उम्मीदवारों और समर्थकों की भाग-दौड़, चर्चाओं का दौर और स्थानीय राजनीतिक गणित की हलचल पूरे दिन चलती रही।

कल से अमान्य फॉर्मों पर आपत्ति निवारण की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद अंतिम उम्मीदवार सूची जारी होगी, जिसके बाद बीड की सियासत में असली रंगतदार मुकाबला साफ दिखेगा।

फिलहाल माहौल बता रहा है कि बीड नगरपरिषद चुनाव-२०२५ प्रतिष्ठा, रणनीति और जनाधार की असली परीक्षा बनने वाला है। सभी प्रमुख राजनीतिक दल, स्थानीय नेता और कार्यकर्ता पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुके हैं तथा शहर में चुनावी गर्मी तेज़ होती जा रही है।

शाम ४ बजे तक हुई फॉर्म छानबीन का विवरण

नगराध्यक्ष पद

मान्य : ४३अमान्य : ४

प्रभाग ३

(अ) मान्य १७अमान्य ४

(ब) मान्य १३अमान्य २(१ ऑब्जेक्शन - निर्णय लंबित)

प्रभाग ४

(अ) मान्य २२अमान्य ६

(ब) मान्य १३अमान्य ४

प्रभाग ५

(अ) मान्य ९अमान्य ०

(ब) मान्य ९अमान्य ३

प्रभाग ६

(अ) मान्य ९अमान्य २

(ब) मान्य १७अमान्य ४

प्रभाग ७

(अ) मान्य ७अमान्य २

(ब) मान्य ११अमान्य २

प्रभाग ८

(अ) मान्य ८अमान्य २(१ ऑब्जेक्शन - निर्णय लंबित) (ब) मान्य १३अमान्य १

प्रभाग ९

(अ) मान्य ९अमान्य १२

(ब) मान्य १०अमान्य ४

प्रभाग १०

(अ) मान्य ६अमान्य ३

(ब) मान्य ५अमान्य २

प्रभाग ११

(अ) मान्य १०अमान्य २

(ब) मान्य १८अमान्य ३

प्रभाग १२

(अ) मान्य १२अमान्य ४

(ब) मान्य १९अमान्य ६

प्रभाग १३

(अ) मान्य ७अमान्य ४

(ब) मान्य ११अमान्य ७

प्रभाग १४

(अ) मान्य १७अमान्य ५

(ब) मान्य १०अमान्य ५

अलहुदा उर्दू हाईस्कूल, बीड में एप्टीट्यूड टेस्ट और विद्यार्थी-पालकों को मार्गदर्शन

दो दिवसीय विशेषज्ञ काउंसलिंग से छात्र-पालक हुए लाभान्वित

बीड, १८ नवंबर (प्रतिनिधि)

नूर एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, बीड द्वारा संचालित अलहुदा उर्दू हाईस्कूल में १०वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए मरकज़ी तालीमी बोर्ड महाराष्ट्र के संयुक्त तत्त्वावधान में १५ और १६ नवंबर को दो दिवसीय एप्टीट्यूड टेस्ट तथा व्यापक काउंसलिंग कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

इस महत्वपूर्ण शैक्षणिक आयोजन के लिए बाहर के जिलों से आए चार सदस्यीय विशेषज्ञ काउंसलर टीम ने विद्यार्थियों को उनके भविष्य के शैक्षणिक सफर के लिए सटीक मार्गदर्शन दिया।

काउंसलिंग टीम में शामिल रहे सदस्य:

शेख जामील अहमद (औरंगाबाद)

आमिर खान (परभणी)

मोहम्मद अकबर

प्रो. नजम फारुकी (परभणी)

यह टीम विशेष रूप से इसी उद्देश्य से बीड पहुंची थी और दो दिनों तक विद्यार्थियों की टेस्ट, परफॉर्मेंस, क्षमता एवं रुचि के आधार पर गहन मूल्यांकन किया।

टेस्ट के परिणाम और विश्लेषण पूरा होने के बाद रविवार को विद्यार्थियों तथा उनके पालकों के लिए विस्तृत काउंसलिंग सत्र आयोजित किया गया। इसमें बच्चों की शैक्षणिक स्तर, स्वाभाविक प्रतिभा, रुचि और भविष्य की सही दिशा के बारे में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए।

दोपहर ३ बजे काउंसलर्स, शिक्षकों और प्रबंधन पदाधिकारियों की विशेष बैठक हुई, जिसमें १०वीं के सभी विद्यार्थियों के व्यवहार, शैक्षणिक रुचि, मानसिक स्थिति और बौद्धिक गुणवत्ता का विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। यह बैठक आगे की शैक्षणिक नीति और नियोजन के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हुई।

कार्यक्रम में नूर एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारी सय्यद शफीक हाशमी, सय्यद मजहर कादरी, काझी मुजाहिद सिद्दीकी और जावेद अली खान उपस्थित रहे तथा उन्होंने मूल्यवान मार्गदर्शन दिया।

स्कूल के प्रधानाचार्य डॉ. सिराज खान ने मरकज़ी तालीमी बोर्ड महाराष्ट्र के सचिव सय्यद शरीफ तथा प्रसिद्ध काउंसलर शेख मोहम्मद नजमुद्दीन के प्रयासों की सराहना की। सोसाइटी के नवनिर्वाचित सचिव नसीर अहमद खान ने तीन दिनों तक की उत्कृष्ट आवास, भोजन और रहने की व्यवस्था के लिए विशेष धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, यह टेस्ट हमारे बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

कार्यक्रम की सफलता में शिक्षक शेख मोईजोद्दीन, सय्यद रहबर, मोहम्मद रफीक, शेख अब्दुल हमीद तथा गैर-शिक्षक कर्मचारी शेख मसूद, यूनूस खान और अन्य स्टाफ सदस्यों का मेहनती सहयोग रहा।

पान १ वरून

नगराध्यक्ष चाऊस को टक्कर...

बन गई है - उम्मीदवार बदल दो, फिर वही माया अपने घर ले आओ!

अब माजलगांव के मतदाता जाग गए हैं। उन्होंने ठान लिया है कि इस बार जिसे भी टिकट मिले, उसे आसमान दिखा देंगे और शहर का गहरा अध्ययन करने वाले, सच्चे उम्मीदवार को ही नगरपालिका में लाकर विजयी बनाएंगे।

इसी वजह से पटेल हे पटेल वाले उम्मीदवार चाहे पटने वाले हों या न पटने वाले, मतदाताओं की नजर में पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। यह तस्वीर अब एकदम साफ दिख रही है।

गेवराई नगरपरिषद चुनाव...

प्रचार अभियान शुरू हुआ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव एवं पूर्व विधायक अमरसिंह पंडित तथा गेवराई तालुका के वर्तमान विधायक विजयसिंह पंडित के नेतृत्व में नगराध्यक्ष पद की उम्मीदवार सौ. शीतलताई महेश दाभाडे और प्रभाग ६ की महिला उम्मीदवार ज़ाकेरा बेगम इस्माईल शरीफ एवं वैशाली किशोर कांडेकर की भव्य प्रचार रैली निकाली गई। रैली को जनता का जबरदस्त समर्थन मिला।

यह रैली मोमीनपुरा, खडकपुरा और भीमनगर इलाकों में मतदाताओं से सीधा संवाद करते हुए पूरी हुई। इन क्षेत्रों के मुस्लिम मतदाता एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। स्थानीय मुस्लिम मतदाताओं ने नाली, सड़क और स्ट्रीट लाइट जैसी समस्याओं को आवाज़ देने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस की नगराध्यक्ष उम्मीदवार सहित सभी उम्मीदवारों को विजयी बनाने का संकल्प लिया।

प्रचार रैली में राष्ट्रवादी कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता सुनीता कांडेकर, कमल सौंदरमल, मीना कांडेकर, ज्योती पोटफोडे, आशा पोटफोडे, सोजर पोटफोडे, स्वाती शिंदे के साथ-साथ दीपक निकाळजे, बाळू माटे, अर्जुन पोटफोडे, एड. गौतम कांडेकर, बाळासाहेब माटे, धनंजय कांडेकर, भीमा सौंदरमल, बंटी सौंदरमल, अशोक पाटेकर, धम्मा भोले, प्रकाश साळवी, जीवन साळवी, सचिन माटे, शेख मोमीन गफार, शेख मुव्हीज, जब्बार काझी, अखिल नजीर, शेख नदीम, मोमीन इमरान, रईस मोमीन, ज्योती बाबू, हसमी रहमान, अब्दुल ढोराज, अब्दुल जब्बार, ढोराज हसनुद्दीन, शेख मोमीन, शाकीर मोमीन, अखिल सय्यद, आसमान मलिक, सय्यद आरिफ, सय्यद पैजाम, शेठ जुनेद, मोसिन सय्यद, समीर सय्यद, इस्माईल सय्यद, अब्दुल्ला कादर सहित राष्ट्रवादी कांग्रेस के सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता उत्साहपूर्वक मौजूद रहे।

हम पंडित घराने को सबक सिखाएंगे ...

अंबेडकरी आंदोलन के महत्त्वपूर्ण कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई और उसके बाद इन तीनों नेताओं ने सामूहिक रूप से अपनी नई भूमिका स्पष्ट की।

राष्ट्रवादी के टिकट पर लड़ने के लिए भी तैयार थे पर हमें गलत तरीके से हटाया गया - पप्पू कागदे

प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू कागदे ने कहा :

हम किसी के दरवाजे नहीं गए थे वे ही हमारे पास आए थे।

मेरी उमेदवारी निश्चित थी मगर अंतिम समय पर मुझे गलत तरीके से हटाया गया।

यह प्रवृत्ति गलत है और इसका परिणाम पंडित परिवार को भुगतना पड़ेगा।

अंबेडकरी समाज उन्हें सबक सिखाएगा।

आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल - गंभीर आरोप

कागदे ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष अब पुलिस दबाव का इस्तेमाल कर आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहा है।

उन्होंने कहा :

मुझे नोटिस दी गई है।

चुनाव समाप्त होने तक जेल में डालने की योजना है।

लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं हम उन्हें जवाब देंगे।

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com